न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 98/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 भंवरलाल पिता नाथूलाल गर्ग (गुरू) उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 रूपलाल पिता नाथूलाल गर्ग (गुरू) उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रार्थीगण

बनाम

1 संजू देवी पत्नि मथुरालाल रेगर उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री विष्णुदत्त शर्मा––––– प्रार्थीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
अप्रार्थीया संख्या 01

निर्णय

दिनांक 02.08.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 26.11.2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा सांगरिया पटवार मण्डल क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 4473/1547, 4472/1547 प्रार्थीगण के खातेदारी/सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी खसरान में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थी के खातेदारी खसरे में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 1543 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कराया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थी के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 1543 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 29.11.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस वाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी क्रम 01 स्वयं द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का वर्षो से अप्रार्थीगण के खसरे से आवागमन का कथन असत्य है। प्रार्थी के पास मौके पर वैकल्पिक मार्ग पहले से ही मौजूद है, जिसका उपयोग प्रार्थी वर्षो से करता चला आ रहा है। प्रार्थी शुरूआत से ही नाथूलाल बैरवा, ओम शर्मा के खेतों तक जाने वाले रास्ते से अपनी आराजी में प्रवेश करता आ रहा है। जवाबदाता के खसरान में से न तो वर्तमान में कोई रास्ता निकल रहा है न ही कभी निकला

Scanned with OKEN Scanner

था। 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह झूंठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत नही है। शुरूवात से ही प्रार्थीगण की वैकल्पिक मार्ग से बिना किसी बाधा/रूकावट के आवाजाही रही है।

यदि प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थी का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से मौजा सांगरिया प.ह.क्षेत्र सांगरिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरान संख्या 1543 रकबा 0.27 में से 0.0208 हैक्टयर (4 मीटर चौडाई/52 मीटर लम्बाई/208 वर्गमीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक व अप्रार्थी स्वयं ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है। जवाबदाता ने बतौर वैकल्पिक मार्ग जवाब में दिये गये हवाले के मुताबिक प्रार्थीगण का शुरूआत से ही नाथूलाल बैरवा, ओम शर्मा के खेतों तक जाने वाले रास्ते से अपनी आराजी में आवागमन हो सकना अथवा किया जाना अवगत कराया है। लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग का सुचारू एवं निकटतम होना जवाबदाता ने राजस्व नक्शे के माध्यम से पूर्णतया साबित् नही किया है।**
2. **प्रार्थीगण के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।**
3. **प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 4 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा सांगरिया प.ह.क्षेत्र सांगरिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरान संख्या 1543 रकबा 0.27 में से 0.0208 हैक्टयर (4 मीटर चौडाई/52 मीटर लम्बाई/208 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा सांगरिया-प.ह.क्षेत्र सांगरिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरान संख्या 1543 रकबा 0.27 में से 0.0208 हैक्टयर (4 मीटर चौडाई/52 मीटर लम्बाई/208 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी (आराजी संख्या 1543 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0208 हैक्टेयर (208 वर्गमीटर) मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 19,940/–रूपये अदायगी कर दी जावेगी/राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner